

**पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।**  
**“कार्यालय आदेश”**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानानुसार विभागाध्यक्ष स्तर पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पशुचिकित्सा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित पशुचिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किये जाते हैं :-

**(1) पारस्परिक स्थानान्तरण:**

| क्र० सं० | अधिकारी का नाम व पदनाम    | वर्तमान तैनाती स्थान       | नवीन तैनाती स्थान          | अभ्युक्ति             |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                         | 3                          | 4                          | 5                     |
| 1        | डा० सुन्दर सिंह प०चि०अ०   | सीमन बैंक लालकुआँ, नैनीताल | प०चि० मजखाली, अल्मोड़ा     | पारस्परिक स्थानान्तरण |
| 2        | डा० अंकिता ज्योति प०चि०अ० | प०चि० मजखाली, अल्मोड़ा     | सीमन बैंक लालकुआँ, नैनीताल | पारस्परिक स्थानान्तरण |

(डा०नीरज सिंघल)  
निदेशक।

संख्या 1256/स्था०एक/वा०स्थाना०(प०चि०अ०)/2025-26 दिनांक 10 जून, 2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख निजी सचिव, मा०मंत्री जी, पशुपालन उत्तराखण्ड सरकार को मा०मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. सचिव, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग/पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, पौड़ी/नैनीताल/गोपेश्वर।
6. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू०एल०डी०बी०/शीप बोर्ड, देहरादून।
7. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद्, देहरादून।
8. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त परियोजना निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त रोग निदान अधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
11. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
12. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, मुख्यालय।
13. समस्त अनुभाग, मुख्यालय।
14. उपरोक्त अधिकारियों को अनुपालनार्थ।
15. उपरोक्त अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(डा०नीरज सिंघल)  
निदेशक।